रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

संख्या 413] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 5, 1980/भाद्र 14, 1902
No. 413] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 5, 1980/BHADRA 14, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1980

का० आ० 748 (अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 7 सितम्बर, 1980 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध राजस्थान राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे अर्थात्:—

"जिला जोधपुर का बासनी औद्योगिक क्षेत्र (जोधपुर) जिसके

पूर्व में : बासनी रेलवे स्टेशन, जोधपुर से लुनी पाली तक की रेलवे लाईन ;

पश्चिम में : जोधपुर ग्राम का भाग,
शोभावतन का धानी और खेमा का कुआ ;

उत्तर में : सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीच्यूट लेबोरेटरी और कार्यालय
(सी०ए० जेड,०आर०आई०) तथा

दक्षिण में : ग्राम संगारिया है।"

[संख्या एस–38013/9/80–एच०आई०]

हंस राज छाबड़ा, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 1980

S.O. 748(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 7th September, 1980 as the date on which the provisions of Chapter IV (except section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Rajasthan, namely :—

"Basni Industrial Area (Jodhpur) Bounded as under :—

East : Railway line from Basni Railway Station, Jodhpur to Luni Pali.

West : Part of Jodhpur Village, Dhani of Shobhavoton and well of Khema.

North : Central Acid Zone Research Institute Laboratory and Office (CAZRI).

'South : Village Sangaria,
in District Jodhpur."

[No. S-38013/9/80-HI]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980.

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D.)72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 414] नई दिल्ली शुक्रवार, सितम्बर 5, 1980/भाद्र 14, 1902
No. 414] NEW DELHI, FRIDAY SEPTEMBER 5, 1980/BHADRA 14, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1980

का० आ० 749 (अ).—18-कक/आई डी आर ए/80—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 134(अ)/1805-क आई डी आर ए/79-तारीख 13 मार्च, 1979 द्वारा यथा उपांतरित आदेश सं० का० आ० 529 (अ)/18कक/आईडीआरए/74-तारीख 6 सितम्बर, 1974 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) सचिव, बंद और रुग्ण उद्योग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स इंडिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, सीरमपुर, पश्चिमी बंगाल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए तारीख 6 सितम्बर, 1974 से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकृत किया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 512(अ)/18कक/आई डी आर ए/79, तारीख 4 सितम्बर, 1979 के द्वारा उक्त आदेश की कालावधि तारीख 5 सितम्बर, 1980 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उक्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा एक वर्ष की और अवधि के लिए जारी रखा जाए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 5 सितम्बर, 1981 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

[फा० सं० 2(14)/80-सी०यू०एस०]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 5th September, 1980

S.O. 749(E)/18AA/IDRA/80.—Whereas, by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 529(E)/18AA/IDRA/74, dated the 6th September, 1974 as modified by the Order No. S.O. 134(E)/18AA/IDRA/79, dated the 13th March, 1979 (hereinafter referred to as the said order), the Central Govt. had authorised the Secretary, the Closed and sick Industries Department, Government of West Bengal (hereinafter referred to as the said authorised person) to take over the management of Messrs. India Belting and Cotton Mills Limited, Serampore, West Bengal (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of five years from the 6th September, 1974;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 512(E)|18AA|IDRA|79, dated the 4th September, 1979, the duration of the said Order was extended for a further period of one year upto and inclusive of the 5th September, 1980;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said authorised person should continue for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central

Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year upto and inclusive of the 5th September, 1981.

[F. No. 2(14)/80-CUS]

का०आ० 750 (अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/80.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 662(अ), तारीख 7 सितम्बर, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65), की धारा 18-चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न, जो बैंक और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित हैं) जिनका मैसर्स खारदाह कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता अथवा ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हो परिवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिये निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेष अधिकार बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिये निलम्बित रहेंगे;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औ० वि० विभाग) के आदेशों सं० का०आ० 545 (अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/78, दिनांक 6 सितम्बर, 1978, और सं० का० आ० 516 (अ)/18 एफ०बी०/आई०डी० आर०ए०/79, दिनांक 6 सितम्बर, 1979, द्वारा उक्त आदेश की अवधि 6 सितम्बर, 1930 तक की अवधि के लिये, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष के लिये बढ़ाई गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 6 सितम्बर, 1981 तक की और अवधि के लिये, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष के लिये और बढ़ा दी जाए;

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त आदेश की अवधि 6 सितम्बर, 1981 तक की और अवधि के लिये, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फा० सं० 3(3)/74-सी०यू०एस०]

बी० राय, संयुक्त सचिव

S.O. 750(E)/18FB/IDRA/80.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 662(E), dated the 7th September, 1977, (hereinafter referred to as the said Order, the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Khardah Company Limited, Calcutta or the Company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or Company shall remain suspended for a period of one year, and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And, whereas by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 545(E)/18FB|IDRA|78, dated the 6th September, 1978, and No. S.O. 516(E)|18FB|IDRA|79, dated the 6th September, 1979, the duration of the said Order was extended for a further period of one year upto and inclusive of the 6th September, 1980;

And, whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year upto and inclusive of the 6th September, 1981;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 6th September, 1981

[Fille No. 3(3)/74-CUS]

B. ROY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980